



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2376 सन् 2026

नैपाल सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजेंद्र कुमार

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजेंद्र कुमार और श्री बी.के. श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे स्टेनोग्राफर(आशुलिपिक) के रूप में नियुक्त किया गया है, यद्यपि अब रिट याचिकाकर्ता को खंड विकास अधिकारी परिक्षितगढ़, जिला मेरठ के कार्यालय में दिनांक 24.12.2025 के आदेश के आधार पर संबद्ध किया गया है। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने संबद्ध स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वहाँ खंड विकास अधिकारी का कोई पद ही नहीं है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता जिला अधिकारी, मेरठ के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. प्रतिवाद में इस तरह की दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता के लिए जिला अधिकारी, मेरठ के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, जो रिट याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास दुधवार,)

फ़रवरी 18, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"